

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला- राजसमन्द

फर्द अहकाम

प्रार्थी महिपाल सिंह व अन्य विपक्षी निर्मला देवी व अन्य
क्रिस मुकदमा पत्रावली संख्या 60/2022 पद

क्रमांक कार्यवाहक विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएं जारी की गई

18/3/24
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चर्या की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/05/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

27/05/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चर्या की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/07/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

02/07/2024
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता
उपस्थित। उभयपक्षी अधिवक्ता के जवाब पेश किए
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब की प्रति
प्राप्त अधिवक्ता को दिखाई गई। पत्रावली वाले
बदल दिनांक 12/08/2024 को पेश हो।

12/08/2024
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता
उपस्थित। बहराएल समझ पाएते ही समझ दिया
जाता है। पत्रावली वाले बदल दिनांक 18/09/24 से
पेश हो।

18/09/2024
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
 आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
 अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
 दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरफा की गई।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 04/11/2024
 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
 (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

04/11/2024
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता
 उपस्थित। वदल देल समय चाहे दी समझदिया
 जाना दी पत्रावली वाले वदल दिनांक 20/12/2024
 को पेश हो।

20/12/2024
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
 आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
 अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
 दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चरफा की गई।
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/01/2025

को पेश हो।
 हस्ताक्षर रीडर
 (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

आधीनी को से
 20/12/2024
 राजेश समझानी
 पत्रा.

13/01/25
 पत्रावली पेश हुई। आधीनी की ओर से
 अधिवक्ता श्री राजेश समझानी को डायरेक्टिंग पत्र
 उपस्थित। आधीनी अधिवक्ता आधीनी वदल
 देल समय चाहे दी समझदिया जाना दी
 पत्रावली वाले वदल दिनांक 19/02/25 को
 पेश हो।

19/02/25
 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता
 उपस्थित। अधिवक्ता आधीनी ने उतरल में नोटिफिकेशन
 मामले में नोटिफिकेशन नही चाहे बाबत निवेदन
 किया गया। उतरल में अधिवक्ता आधीनी द्वारा नोटि
 फिकेशन नही चाहे के मामले में अब नोटिफिकेशन
 शेष नही रहती है। अतः आधीनी अधिवक्ता पर नोटिफे
 में निरस्त किया जाता है। पत्रावली फिल शुभल होना बा
 से समझानी को

सहायक कलक्टर
 देवगढ़, जिला-राजसमन्ट